

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या-वन भूमि-23/2022- 2690

व०प०, राँची, दिनांक- 12/09/2022

प्रेषक,

जलज कुमार,
उप परामर्शी।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल,
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, मुख्यालय,
हरमू चौक, राँची-834002।

विषय :- 132KV D/C चतरा से हंटरगज ट्रांसमिशन लाइन निर्माण हेतु चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अन्तर्गत 29.8774 हे० एवं चतरा उत्तरी वन प्रमंडल अन्तर्गत 23.3355 हे० कुल 53.2129 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-504 दिनांक-16.06.2022 एवं पत्रांक-804 दिनांक-16.08.2022 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) संलग्न है।

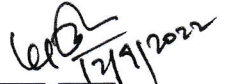
विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :-

- (i) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।
- (ii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप प्रस्तावित 53.2129 हे० वनभूमि के NPV का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।
- (iii) प्रस्तावित वनभूमि के विरुद्ध चिन्हित 108.05 हे० अवकृष्ट वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।
- (iv) प्रस्ताव के पार्ट-III में वन संरक्षक की अनुशंसा के क्रम में प्रस्तावित शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।
- (v) CWLW के मंतव्य के आलोक में प्रस्तावित शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।
- (vi) अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

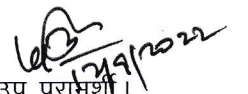
विश्वासभाजन


(जलज कुमार)
उप परामर्शी।

ज्ञापांक-वन भूमि-23/2022- 2690

व०प०, राँची, दिनांक- 12/09/2022

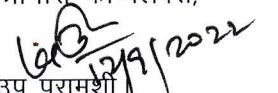
प्रतिलिपि-सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उप परामर्शी।

ज्ञापांक-वन भूमि-23/2022- 2690

व०प०, राँची, दिनांक- 12/09/2022

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/प्रबंधक(त०), झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि०, 1st Floor, श्रीगारी कॉम्प्लेक्स, कनेरी हिल रोड, हजारीबाग, झारखण्ड-825301 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उप परामर्शी।

PART – V

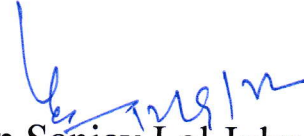
(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 53.2129 ha of Forest Land for construction of 132 KV D/C Hunterganj to Chatra Transmission Line under Chatra South & North Forest Division.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for Diversion of 53.2129 ha of Forest Land with conditions as stated in the forwarding letter no 2690 dated 12/09/2022.


Rajdeep Sanjay Lal John

Joint Secretary

Forest, Environment & Climate Change Department,
Jharkhand Ranchi.

संयुक्त सचिव

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

झारखण्ड, राँची

(Official Seal)

Date:

Place: Ranchi



कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखण्ड, पिन-834002 Email ID : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक:- ...804 दिनांक:- ...16.8.2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :-

132KV D/C चतरा से हंटरगज ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अन्तर्गत (29.8774 हे0) एवं चतरा उत्तरी वन प्रमंडल अन्तर्गत (23.3355 हे0) कुल 53.2129 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :-

वन विभागीय पत्रांक 2114 दिनांक 26.07.2022

महाशय,

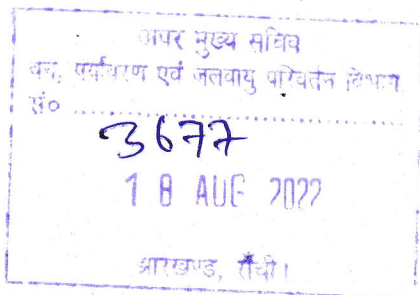
उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के कार्यालय पत्रांक 959 दिनांक 10.08.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त मंतव्य इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

K.A.
16.8.22



3332
24/08/2022



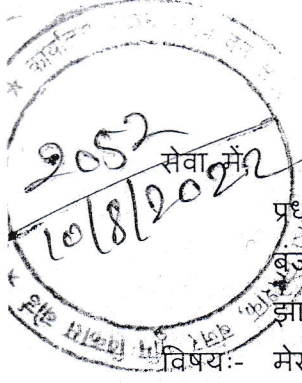
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी एवं
मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक झारखण्ड
वन भवन डोरण्डा राँची 834002



15

पत्रांक : 959

रांची दिनांक: 10/08/2022



प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

विषय:- मेसर्स झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा चतरा जिला अंतर्गत 132 के0भी0डी0सी0 चतरा-हंटरगंज ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 53.2129 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल अंतर्गत 29.8774 हे0 एवं चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल अंतर्गत 23.3355 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक 504 दिनांक 16-06-2022 एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग का पत्रांक 1775 दिनांक 05.08.2022 -(छायाप्रति संलग्न)।

महाशय,
10.08.2022

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संदर्भ में क्षेत्रीय पदाधिकारियों-क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के मंतव्य (पत्रांक 1775 दिनांक 05.08.2022), वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल व चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल के मंतव्य से सहमत होते हुए अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य निम्नवत है:-

1. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक हजारीबाग द्वारा प्रतिवेदित है कि विषयक प्रस्ताव अंतर्गत याचित/प्रस्तावित अपयोजन वनभूमि एवं निकटतम वन क्षेत्रों में कई प्रकार के वन्यप्राणियों का अच्छा प्रवास है। और भारत सरकार द्वारा प्रासंगिक विषयक प्रस्ताव क्षेत्र के आस-पास से ही चंदवा से गया ट्रांसमिशन लाईन निर्माण (मेसर्स पावर ग्रिड ऑफ इण्डिया लिमिटेड 400 के0भी0/डी0सी0) हेतु वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव में भी वन्यप्राणी प्रबंधन योजना की शर्त लगाई गई है। अतः ऐसी स्थिति में वनों की सुरक्षा एवं संवर्धन हेतु संभावित मानव-वन्यप्राणी द्वन्द से निपटने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण मेसर्स झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा Project Cost पर Wildlife Management Plan तैयार किया जाना अपेक्षित होगा।

2. उपरोक्त के आलोक में परियोजना हेतु प्रयोक्ता एजेंसी मेसर्स झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा रैखिक परियोजनाओं के लिए Wildlife Institute of India द्वारा प्रकाशित "Eco-Friendly measures to mitigate impact of linear infrastructures on wildlife (2016)" द्वारा जारी मानक एसओपी/दिशानिर्देशों के प्रावधानों के पालन सहित, परियोजना हेतु राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 66 वीं बैठक दिनांक 31.12.2021 में NBWL द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वनों की भूमि के प्रबंधन के मामलों में लिए गए निर्णयों के सार (MoEF&CC F.No. 6-141/2021WL दिनांक 1 फरवरी 2022) द्वारा परिचालित) विशेषकर ट्रांसमिशन लाईन निर्माण में हाथियों को आकस्मिक इलेक्ट्रोक्वैशन से बचाने के लिए बिजली लाइनों के सबसे निचले कंडक्टर या ग्राउंडिंग तारों (अर्थात् अधिकतम शिथिलता बिंदु पर) के सबसे निचले बिंदु पर विभिन्न ढलान वाली जमीन से ऊपर की ऊंचाई और अन्य एरोबोरियल प्रजातियों

(Signature)

को इलेक्ट्रोक्यूशन से सुरक्षित रखने संबंधित निर्णय अनुसार सुनिश्चित करने, वन्यप्राणियों विशेषकर हाथियों के संभावित electrocution से बचाव के लिए ABC cable (insulated Aerial Bundled Cable) का प्रयोग किया जाना अपेक्षित होगा। साथ ही क्षतिपूरक वनरोपण में वन्यप्राणियों के भोजन अनुकूल वृक्ष प्रजातियों का वनरोपण भी अपेक्षित होगा।

3. प्रयोक्ता एजेंसी मेसर्स झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा परियोजना क्षेत्र के भीतर और आसपास के क्षेत्रों पर विषय वस्तु विशेषज्ञ/विशेषज्ञों के माध्यम से पारिस्थितिकी, और वनस्पतियों और जीव जंतुओं पर परियोजना के संभावित प्रभाव का आकलन किए जाना अपेक्षित होगा। यह landscape areas में वनस्पतियों और जीवों पर डेटा के संग्रह के माध्यम से किया जा सकता है और Jharkhand हेतु भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण (BSI) द्वारा दी list of threatened plant species endemic to region, और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) द्वारा झारखंड की जीव-जंतु लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची को संदर्भ में रखा जाना अपेक्षित होगा ताकि प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में और उसके आसपास वैज्ञानिक डेटा का सत्यापन कर पारिस्थितिकी के संभावित कुप्रभाव की रोकथाम और शमन उपायों की निगरानी और बचाव हेतु उचित निर्णय लिया जा सके।
4. परियोजना क्षेत्र के आसपास वन्यजीवों के आवासों के परिदृश्य को देखते हुए उपयोगकर्ता एजेंसी मेसर्स झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा भी विशेष सहयोग की आवश्यकता होगी। यह मानव-वन्य प्राणी सह-अस्तित्व क्षेत्र को समर्थन और बढ़ावा देकर किया जा सकता है ताकि परियोजना क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्र में वन्यजीव शमन उपायों के माध्यम से वन्यजीवों के साथ-साथ मानव के कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके।
5. उपरोक्त सभी बिन्दुओं को परियोजना की स्वीकृति की अवधारणा में सम्मिलित किये जाने की अनुशंसा सहित, विषय वस्तु विशेषज्ञों की सहायता से, परियोजना कार्य से उद्भूत वन्यप्राणियों के habitat Fragmentation तथा वन्यप्राणी संरक्षण के दृष्टिकोण से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के परिपेक्ष्य में Project Cost पर, प्रयोक्ता अभिकरण मेसर्स झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारियों चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल एवं चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल तथा वन संरक्षक के परामर्श एवं निर्देशन में Project cost पर दोनों वन प्रमण्डलों के वन भूमि सम्बंधित एकीकृत स्थल विशेष वन्यजीव प्रबंधन योजना (Integrated Site Specific Wildlife Management Plan) तैयार कर इसे समयवद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित होगा।

विश्वासभाजन



प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी
एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड